तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 10/13 उमरबी बनाम कालेखां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये
30.10.2023	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 18.9.2023 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 4354 दिनांक 13.9.2023 मय मण्डल के निर्णय दिनांक 4.9.2023 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। वकील उभयपक्ष को अवलोकन कराया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 13.9.2023 के खिलाफ मण्डल में रैस्पो0 कालेखां वगैरह ने निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसमें मण्डल द्वारा हस्तगत निर्णय दिनांक 4.9.2023 पारित करते हुये निर्णय पारित किया है कि............" तहसीलदार कामां के समक्ष विवादित नामानतरकरण के विरूद्व अपील असल अप्रार्थीगण उमरवी,अकबरी,कल्लो पुत्री रहीमबक्श की ओर से न्यायाल संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो कि अभी विचाराधीन है और उसमें कोई अन्तिम निर्णय पारित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपनी अपील को वापिस लें एवं इसके बाद उक्त राजीनामा के आधार पर तहसीलदार कामां पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित पक्षकारान की पहचान करते हुये अपना तद्नुसार निर्णय पारित करें अतः हस्तगत निगरानी उपरोक्तानुसार निर्णत की जाती है कि प्रकरण के साथ मूल राजीनामा तहसीलदार कामां जिला भरतपुर को भेजा जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे राजीनामा में वर्णित पक्षकारान की पहचान करते हुये अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान तहसीलदार कामां के समक्ष दिनांक 21.9.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व असल अप्रार्थीगण (अर्थात अपीलान्ट) संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष उपस्थित होकर उनकी ओर से प्रस्तुत अपील को वापिस लेकर तहसीलदार कामां के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। ...." चूंकि पत्रावली दिनांक 18.9.23 को न्यायालय हाजा में प्राप्त हुई है और मण्डल ने तहसीलदार कामां के समक्ष आ0तो0पेशी 21.9.2023 नियत की गई है। वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि वे मण्डल में अपीलान्ट के वकील नहीं थे इसलिऐ अनभिज्ञता जाहिर करते हुये अपील वापिस लेने से इन्कार किया गया। ऐसी स्थिति में मण्डल के निर्देशानुसार तहसीलदार कामां को जरिये डाक अपील मीमों , आदेशिका दिनांक 30.10.2023 की प्रमाणित प्रति एवं मण्डल के पत्रांक 4354 दिनांक 13.9.2023 की प्रति मय मण्डल के निर्णय दिनांक 4.9.2023 की प्रति मण्डल के निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे। मूल राजीनामा एवं निर्णय दि0 4.9.2023 की प्रति मण्डल द्वारा सीधे ही तहसीलदार कामां को भिजवायी जा चुकी है। वकील उभयपक्ष को निर्णय दिनांक 4.9.2023 के जरिये तहसीलदार कामां के समक्ष दिनांक 21.9.2023 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया जा चुका है। लिहाजा न्यायालय हाजा के स्तर से इस प्रकरण में अब कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। पत्रावली मण्डल के निर्णय दिनांक 4.9.2023 की रोशनी में नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। 30.10.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर	